

कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. 0755-2551017, 2551021 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्र. 1798 /नातौ/अ-1(1)/EoDB/2020
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2020

1. समस्त उप / सहायक नियंत्रक,
नाप-तौल, मध्यप्रदेश
2. समस्त निरीक्षक,
नाप-तौल, मध्यप्रदेश

विषय :- पैकबंद वस्तुओं के पैककर्ता/ निर्माणकर्ता/ आयातकर्ता पंजीयन का नवीनीकरण ।

- - - - - 00 - - - - -

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 27 के तहत पैकबंद वस्तुओं के पैककर्ता/ निर्माणकर्ता/ आयातकर्ता पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है. इन नियमों में इन पंजीयन के नवीनीकरण का प्रावधान नहीं है। जिसके आवेदन mpedistrict पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त किये जाकर ऑनलाईन ही पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

- स्पष्ट है कि पैकबंद वस्तुओं के पैककर्ता/ निर्माणकर्ता/ आयातकर्ता का एक ही बार पंजीयन होता है इसका नवीनीकरण नहीं होता है। यदि इसके नवीनीकरण हेतु कोई आवेदन आते हैं तो उन्हें इस स्थिति से अवगत करावें ।

(एस.के. जैन)

नियंत्रक

नाप-तौल, म.प्र. भोपाल